न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं.– 39/2017
दायर तिथि– 21.07.2017
तारीख फैसला– 21.06.2018

वादीगणः–

1–जोयताराम पुत्र सवाजी
2–मानाराम पुत्र सवाजी
3–नगाराम पुत्र सवाजी जातिगण देवासी निवासी–कोसेलाव
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)

ब ना म

प्रतिवादीगणः–

1–साहिल पुत्र गोरधनसिंहजी आयु बालिग
2–मोहनराम पुत्र जेठारामजी आयु बालिग
3–खेमसिंह पुत्र जेठाराजमी आयु–बालिग
4–मन्जुदेवी पुत्री जेठारामजी आयु–बालिग
जातिगण–जाट निवासीगण–कोसेलाव तहसील–सुमेरपुर जिला पाली(राज0)।
5–तहसीलदार भुमिधारी सुमेरपुर ।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, 1955 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.06.2018	वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण सं 01 लगाय 04तक के अन्तर्गत धारा **212 आर.टी.एक्ट, 1955** में पेश अदालत कर जाहिर किया है कि मौजा सरहद कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 23 रकबा 2.15 हैक्टर खसरा नं. 24 रकबा 2.07 हैक्टर कुल रकबा 4.22 हैक्टर आयी हुई है जिसका वादपत्र में दर्शाए गये हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हिस्से दर्ज करवाये जाने व प्रत्येक हिस्सेदार एक–दुसरे के हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करें, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने के लिए वादपत्र पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा। इसलिए मूल वादपत्र के निस्तारण होने तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। हमने प्रार्थी की एकपक्षीय दलील को सूना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में हमारी राय है कि संबंधित मूल वादपत्र का निस्तारण न हो जाए, तब तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते हैं। मूल वादपत्र का निस्तारण न हो जाए, तब तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उपरोक्त आदेश से दोनों पक्षकार पाबंद रहेंगे, इस आज्ञाप्ति बाबत अप्रार्थी सूचित हो। यह आदेश बरोज आज दिनांक **21.06.2018** को राजस्व लोक अदालत केम्प कोसेलाव में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner